तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2004 / 106 / राजसमन्द** **कैलाशदेवी बनाम हर्षिला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2026	**<u>एकलपीठ</u>** **श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** 1. श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक प्रार्थी। 2. श्री संपतलाल बोहरा, अभिभाषक अप्रार्थी। **<u>आदेश</u>** पत्रावली आदेश लिखाए जाने हेतु प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजीनामा हो जाने से राजीनामे के अनुसार निगरानी फैसल की जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्ष की ओर से जाहिर किया गया कि प्रत्यर्थी हर्षिला को अपने मकान में प्रवेश का रास्ता आम स्टेशन रोड से दे दिया गया है, जिस कारण से उभयपक्ष के मध्य अब कोई विवाद नहीं रह गया है। उपर्युक्त कारण से उभयपक्ष प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD (87) Page 317, Bhairon Sing & Ors. Vs State of Raj. & Ors. प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिपादित मतानुसारः– "Rajasthan Tenancy Act, Section 88–Suit filed for declaration of khatedari rights, decreed by the Board–Parties entered into compromise–Respondents, requested to withdraw the suit–Suit dismissed–Appeal also dismissed–Held, applications allowed–Parties permitted to withdraw the original suit. अंत में उभयपक्ष ने प्रस्तुत द्वितीय अपील को विड्रॉ करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली तथा प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने संबंधी इबारत लिखी हुई है, जिस पर प्रकरण के उभयपक्ष के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं रह जाने से प्रकरण को आगे चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।	

	अतः उभयपक्ष की ओर से राजीनामा हो जाने से राजीनामे के अनुसार निगरानी फैसल की जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजीनामे के आधार पर फैसल किया जाता है। पत्रावली उपर्युक्तानुसार राजीनामे के आधार पर फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(टीकम चन्द बोहरा)** **सदस्य**	